

डिक्री व मुकदमें इन्ट्राई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

सोरती बनाम श्रवण

दावा बाबत :- 53, 68, 188 राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 96/2018

पेश करने की दिनांक - 02.07.218

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई राज० पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम मोतीपुरा के खसरा नम्बर 846/1 रकबा 0.20 का खातेदार सोरती पत्नी बुद्दालाल को खसरा नम्बर 846/2 रकबा 0.20 का खातेदार लादी पत्नी श्रवण, ममता पुत्री श्रवण, राजू पुत्र श्रवण, शुभम पुत्र जसराज, बीना पुत्री जसराज को घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

3
उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 23 माह 8 सन् 2022 को जारी की गयी।

मुद्दई

मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान

मिजान

3
उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

